

## महाराष्ट्र शासन

क्र.मअसे/५६/२०२५/११८७

दूरध्वनी: २६६७७५५५

Email : supdt@mahafireservice.gov.in

Website: www.mahafireservice.gov.in

महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा संचालनालय,

महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा अकादमी,

विद्यानगरी, हंस भुग्रा मार्ग,

सांताक्रूझ-पूर्व, मुंबई-४०० ०९८.

दिनांक : २८.०७.२०२५

प्रति,

मा.आयुक्त, सर्व महानगरपालिका,  
मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विशेष नियोजन प्राधिकरणे, शासकीय उपक्रमे,  
मुख्य अग्निशमन अधिकारी, सर्व महानगरपालिका,  
मुख्याधिकारी, सर्व नगर परिषदा/नगरपंचायती,  
शासनाच्या अन्य अग्निशमन सेवा.

विषय : जीवन रक्षा पदक मालिकेतील पुरस्कार - २०२५ साठी शिफारशी  
पाठविणेबाबत.

संदर्भ : १. केंद्रीय गृह मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.V-11021/01/2022-DGCD (CD),  
दि.१७.०७.२०२५

महोदय,


केंद्रीय गृह मंत्रालय, नवी दिल्ली यांनी उपरोक्त संदर्भाधीन पत्रान्वये बुडणे, अपघात, आगीच्या घटना, वीज कोसळणे, भूसंखलन, प्राण्यांचा हल्ला आणि खाणीमध्ये बचाव कार्य इत्यादी घटनांमध्ये एखादया व्यक्तीचे जीवन वाचविण्यासाठी मानवीय स्वभावांच्या गुणवंत कार्यासाठी जीवन रक्षा पदक मालिकेतील पुरस्कार - २०२५ साठी शौर्य कृत्याच्या कामगिरीच्या दोन वर्षांच्या कालावधीतील म्हणजेच दि.०१ ऑक्टोबर, २०२३ नंतरच्या घडलेल्या घटनांच्या शिफारशी मागविल्या आहेत.

हा पुरस्कार एखादयाचे जीवन वाचवणा-या बचावकर्त्याला खालील तीन श्रेणीमध्ये देण्यांत येणार आहे.

१. सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक : बचावकर्त्याच्या जीवाला खूप मोठा धोका असलेल्या परिस्थितीत जीव वाचविण्याच्या उल्लेखनीय धाडसाबद्दल प्रदान करण्यांत येणार आहे.
२. उत्तम जीवन रक्षा पदक : बचावकर्त्याच्या जीवाला धोका असलेल्या परिस्थितीत जीव वाचविण्यासाठी धैर्य आणि तत्परतेसाठी प्रदान करण्यांत येणार आहे.
३. जीवन रक्षा पदक : गंभीर शारीरिक दुखापतीच्या परिस्थितीत जीव वाचविण्यासाठी धैर्य आणि तत्परतेसाठी प्रदान करण्यांत येणार आहे.

कृ. मा. प.

०३. केंद्रीय गृह मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.V-11021/01/2022-DGCD (CD), दि.१७.०७.२०२५ ची प्रत माहितीसाठी सोबत जोडण्यांत येत आहे. त्यांतील मार्गदर्शक सूचनांचे अवलोकन करून त्याप्रमाणे आपल्या अग्निशमन सेवेतील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या शिफारशी **परिशिष्ट** (अर्जाचा नमुना व प्रमाणपत्र ) या संचालनालयास दोन प्रतीत शिफारस कर्त्याच्या मुळ स्वाक्षरीतील ( महानगरपालिकांच्या शिफारशी मा.आयुक्त, नगरपालिका/नगरपरिषदा /नगरपंचायती यांच्या शिफारशी मुख्याधिकारी व विशेष नियोजन प्राधिकरणे यांच्या शिफारशी व्यवस्थापकीय संचालक यांच्या स्वाक्षरीने ) दि.२९.०८.२०२५ पर्यंत पाठविण्यांत याव्यात. सदर शिफारशी ह्या ऑनलाईन पध्दतीने सादर करावयाच्या असल्याने त्याची सॉफ्ट कॉपी सुद्धा या संचालनालयास पाठविण्यांत यावी ही विनंती.

आपला विश्वासू,  
  
 (एस.एस.वारीक) २२/०७/२५  
 संचालक,  
 महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा

सहपत्र : वरीलप्रमाणे.

मिसिल संख्या F. No V-11021/01/2022-DGCD(CD)

भारत सरकार (Government of India)

गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs)

महानिदेशालय-अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षक  
Directorate General Fire Service, Civil Defence & Home Guards

पूर्वी खण्ड -7, तल-7

East Block-VII, Level-VII

आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066.

R.K. Puram New Delhi- 110066

Date : 17<sup>th</sup> July, 2025

To,

1. Executive Director (G), Railways
2. Director Civil Defence All States/UTs.
3. Commandant General of Home Guards All States/UTs.
4. Head of Fire Services of All States/UTs.

**Subject : Recommendations for Jeevan Raksha Padak series of awards-2025.**

Sir,


Please find enclosed herewith letter no. 17/2/2025-(Public) of Ministry of Home Affairs, Government of India on the subject cited above.

2. The recommendation for the Jeevan Raksha Padak Series of Awards can be sent only through the online Rashtriya Puruskaar Portal, (URL - <https://www.awards.gov.in>). The last date for submitting the recommendation is 30/09/2025.

3. It is informed that the recommendations of Fire Service, Civil Defence and Home Guards personnel should be timely submitted on the above mentioned portal as per the prescribed guidelines.

Encl. as above

Yours faithfully,



(Romil Baaniya, IPS)

Deputy Director Genral

Tel: 011-20907978

Copy for Information to :-Shri G. Parthasarathi, Joint Secretary (Public), North block, MHA, New Delhi.

8/7/25

9/7/25

9/7/25

Dy. No. 1528 R&amp;R MOST IMMEDIATE

DATE 07.07.2025 REMINDER-I

No.17/2/2025-Public

Government of India/Bharat Sarkar  
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya

\*\*\*\*\*

North Block, New Delhi-110 001

Dated: 3<sup>rd</sup> July, 2025.

03 JUL 2025

To

1. The Chief Secretaries of all State Governments
2. The Administrators of all UT Administrations
3. The Secretaries of all Ministries/Departments of the Govt. of India
4. The Member Secretary, National Disaster Management Authority.
5. The Directors General of all Central Armed Police Forces
6. The Director General, Railway Protection Force
7. The Director General, National Disaster Response Force
8. The Director General, Civil Defence & Home Guards.
9. The Director General, Fire Services.
10. DGPs of all State Governments/UT Administration.
11. Director General, National Investigation Agency.

Sub: Recommendations for Jeevan Raksha Padak series of awards-2025.

Sir/Madam

Pls. circulate to

all H.O.s.

Please refer to this Ministry's letter of even no. dated 26/03/2025 (copy enclosed) requesting therein to furnish the recommendations for the Jeevan Raksha Padak Series of Awards to this Ministry. The last date of receiving the recommendation is 30/09/2025.

2. It may be noted that the Award Committee considers only those recommendations, which have been made within a period of two years from the date of performance of live saving act. Therefore, for the year 2025, recommendations, in respect of which the date of performance of the act falls after 30/09/2023, should be forwarded to this Ministry for consideration. A Character and Antecedents Verification Certificate is required to be furnished in each case in the enclosed Proforma.

DDG(FS, CD&amp;HG)

3. The recommendations for the Jeevan Raksha Padak Series of Awards can be sent only through the online Rashtriya Puruskaar Portal, (URL: <https://www.awards.gov.in>). The recommendations should contain all relevant

.... continued/-

details specified in the format available on the above said website, including the name of recommended person in Hindi and a citation in narrative form (maximum 250 words), clearly bringing out the sequence-details of the incident as well as the specific role/contribution of the person(rescuer). A Character and Antecedent Verification Certificate (as per enclosed proforma) duly signed and stamped by the Recommending Authority may be scanned and uploaded on the portal.

4. Login credentials have been already sent to all recommending authorities.

5. Hence it is once again requested to submit the recommendations in online mode by 30/09/2025 on Rashtriya Puraskaar Portal by using the unique login credentials.

Encl. as above.

Yours faithfully



(G. Parthasarathi)

Joint Secretary (Public)

Tele No. 011-23092125


To

- 92

7. It may be noted that the recommendations for Jeevan Raksha Padak Series of Awards for the year 2025 are to be sent latest by 30<sup>th</sup> September 2025. For online recommendations each recommending authority should use the previous year's Login ID and Password. If Login ID and Password is not available for any reason then it is requested to send an email from your official Email ID to sopub@nic.in to get your Login ID and Password through email.

Yours faithfully,

Encls. As above.

  
(Debobroto Basu)

Under Secretary to the Government of India

Tele: 23092421



3. Every year, the Ministry of Home Affairs invites recommendations from all State Governments/UT Administrations, Ministries/Departments of the Government of India, CAPF and other authorities for these awards. The recommendations are examined by a high-level Awards Committee, which makes its recommendations to the Prime Minister and the President. After approval of the President, the decoration of the award, i.e., Medal and Certificate along with the monetary allowance in respect of the awardees, are sent to the concerned recommending authorities.
4. Over the last few years, it has been observed that various acts of life saving by individuals during natural calamities, accidents, extremists attack, drowning/fire incidents etc. are reported in the print and electronic media. However, such valiant and gallant acts go unrecognized in the absence of suitable nominations by the State/UT Government and authorities under whose jurisdiction such acts take place. You would appreciate that awards and decorations are tangible tokens of recognition of the services rendered by an individual. Such awards encourage and motivate others for similar action in the hour of need. The concerned authorities are, therefore, requested to send suitable and deserving nominations to this Ministry for consideration. It may be noted that the recommendations for this award are considered by Awards Committee within a period of two years from the date of performance of the gallant act. Therefore, for the year 2025, any recommendation in respect of which the date of performance of the life saving act falls prior to 1<sup>st</sup> October 2023 should not be forwarded to this Ministry for consideration.
5. The recommendations for the Jeevan Raksha Padak series of Awards can be sent in online mode only through the password protected Rashtriya Puraskaar Portal designed by the Ministry of Home Affairs, (URL: <https://www.awards.gov.in>). The recommendations should contain all relevant details specified in the format available on the above said portal, including a citation in narrative form (maximum 250 words), clearly bringing out the sequence-wise details of the incident, courage and promptitude displayed by the rescuer and danger to life and also specific role/contribution of the person (rescuer).
6. A character and antecedent verification certificate duly signed and stamped by the recommending authority may be scanned and uploaded on the portal. A Performa of this certificate is available on website. A copy of above is enclosed with this letter. While recommending a person online, it may be ensured that all the necessary details including name of the recommended person in Hindi are filled properly.

...continued/



**PROFORMA FOR RECOMMENDATION OF JEEVAN RAKSHA PADAK**  
**SERIES OF AWARDS**

1.	Full Name in English (In Block letters)	:	
2.	Full name in Hindi (Compulsory)	:	
3.	Father/Husband/Guardian's Name	:	
4.	Date of Birth/Age	:	
5.	Gender	:	Male/Female
6.	Complete postal address (with phone numbers etc.)	:	
7.	Whether recommendation is for Posthumous award?	:	Yes/No
8.	Name of the Next-of-kin along with relationship (in case of Posthumous award)	:	
9.	Date of incident  Note: The life saving act prior to 01/10/2023 will not be considered.	:	
10.	Number of lives saved.	:	
11.	Whether the recommended person is a member of the Uniformed Services (Armed Forces, Police Forces and of recognized Fire Services etc.) ?	:	
12.	If yes, whether the life saving act was performed during the course of duty or otherwise?	:	
13.	Whether the life saving act was an individual effort or a team work?	:	
14.	Whether any injury was suffered by the rescuer during the life saving act?	:	Yes/No

15.	If yes, Details of injury suffered by the rescuer?		
16.	Award recommended* viz. Sarvottam Jeevan Raksha Padak (SJRP) / Uttam Jeevan Raksha Padak (UJRP) / Jeevan Raksha Padak (JRP)		
17.	Whether the candidate has been awarded or being considered or eligible for any other award for the same life saving act? Please give the details, if any.		
18.	Details of Jeevan Raksha Padak Series of Award received earlier, if any		Award :  Year :

#### CITATION#

# This should be in form of a write-up of about 200 words, giving complete details (sequence wise) of the life saving act clearly brining out the courage and promptude displayed by the rescuer and danger to his/her life under the circumstances. The deatils of injury, if any, suffered by the rescuer during the act may also be given. (Separate sheet to be attached).

\* The category of award recommended should invariably be mentioned.

Note: All columns must be completed in all respects failing which the application is liable to be rejected.

(4)  
Annexure

CERTIFICATES FOR  
RECOMMENDATION OF JEEVAN RAKSHA PADAK SERIES OF AWARDS

1. It is certified that the character and antecedents of \* \_\_\_\_\_ have been verified and it is confirmed that there is nothing adverse against him/her on record.
2. \*\* It is certified that \* \_\_\_\_\_ is a member of (i.e. Army/Police/Fire Services etc.) \_\_\_\_\_ and life saving act for which this recommendation is being forwarded was performed/not performed during the course of his/her duties.

(Signature)

Name & Designation of the Recommending Authority

Date

\*Name of the recommended person(s)

\*\* Applicable only to members of Uniformed Services (i.e. Army/Police/Fire Services etc.)

सं.17/2/2025-पब्लिक

भारत सरकार  
गृह मंत्रालय  
[पब्लिक अनुभाग]

\*\*\*\*\*

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 26 मार्च, 2025

सेवा में,

1. सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव
2. सभी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रशासक
3. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव
4. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
5. सभी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के महानिदेशक
6. महानिदेशक, रेलवे सुरक्षा बल
7. महानिदेशक, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल
8. महानिदेशक, नागरिक सुरक्षा एवं होम गार्ड्स
9. महानिदेशक, अग्निशामक सेवा
10. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के पुलिस महानिदेशक
11. महानिदेशक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण

विषय:- जीवन रक्षा पदक पुरस्कार श्रृंखला-2025 के लिए संस्तुतियां।

महोदय/महोदया,

जीवन रक्षा पदक श्रेणी के पुरस्कार पानी में डूबने, दुर्घटनाओं, आग लगने की घटनाओं, बिजली का करंट लगने, भू-स्खलनों, जानवर द्वारा किए जाने वाले हमलों और खदानों में बचाव कार्य आदि जैसी घटनाओं में किसी व्यक्ति (यों) की जान बचाने में मानवीय प्रकृति के सराहनीय कार्यों के लिए प्रदान किए जाते हैं। जैसाकि पुरस्कार के नाम से यह स्पष्ट होता है कि उक्त पुरस्कार, जान बचाने वाले व्यक्ति को, किसी का जीवन बचाने के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार निम्नलिखित तीन श्रेणियों के प्रदान किए जाते हैं:-

i. सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक- यह पदक जान बचाने वाले व्यक्ति को, जीवन के प्रति अत्यंत गंभीर खतरे की परिस्थितियों के बीच जाकर जान बचाने में उत्कृष्ट कोटि के साहस का परिचय देने के लिए प्रदान किया जाता है।

ii. उत्तम जीवन रक्षा पदक- यह पदक जान बचाने वाले व्यक्ति को जीवन के प्रति गंभीर खतरे की परिस्थितियों के बीच जाकर जान बचाने में उसके द्वारा साहस और तत्परता का परिचय देने के लिए प्रदान किया जाता है।

iii. जीवन रक्षा पदक- यह पदक, जान बचाने वाले व्यक्ति को गंभीर रूप से शारीरिक चोट लगने की परिस्थितियों के बीच जाकर जान बचाने में साहस और तत्परता का परिचय देने के लिए प्रदान किया जाता है।

....जारी/

2. इन पुरस्कारों के लिए जीवन के सभी क्षेत्रों के व्यक्ति पात्र हैं। सशस्त्र बलों, पुलिस बलों और मान्यताप्राप्त अग्नि शमन सेवा आदि के सदस्य भी इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं। जैसा की गृह मंत्रालय द्वारा स्थापित "जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री पुलिस पदक" को "जीवन रक्षा पदक" में शामिल कर लिया गया है, सीएपीएफ/सीपीओ और पुलिस बलों के सदस्य, जिन्होंने मानव जीवन को बचाने में कर्तव्य के प्रति अनुकरणीय समर्पण दिखाया है, वे भी "जीवन रक्षा पदक" के लिए पात्र हैं। यह पुरस्कार मरणोपरांत भी प्रदान किया जाता है।

3. गृह मंत्रालय इन पुरस्कारों के लिए प्रत्येक वर्ष सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र-प्रशासनों, भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य प्राधिकारियों से सिफारिशें आमंत्रित करता है। इन सिफारिशों की जांच एक उच्च स्तरीय पुरस्कार समिति द्वारा की जाती है, जो अपनी सिफारिशें प्रधान मंत्री एवं राष्ट्रपति को प्रस्तुत करती है। राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात्, पुरस्कार प्राप्तकर्ता के विषय में पुरस्कार-अलंकरण अर्थात् वित्तीय भत्ते सहित पदक और प्रमाण-पत्र संबंधित संस्तुतकर्ता प्राधिकारियों के पास भेज दिए जाते हैं।

4. पिछले कुछ वर्षों से यह देखा गया है कि प्राकृतिक आपदाओं, दुर्घटनाओं, चरमपंथियों के हमलों, डूबने/आग की घटनाओं आदि के दौरान लोगों द्वारा जान बचाए जाने के विभिन्न कृत्यों की सूचनाएं प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दी जाती हैं। तथापि, इस प्रकार के साहसी एवं पराक्रमी कृत्य जिन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों और प्राधिकारियों के क्षेत्राधिकार के तहत होते हैं, उनके द्वारा समुचित नामांकन न हो पाने के कारण उपेक्षित रह जाते हैं। आप इस बात को समझेंगे कि पुरस्कार और अलंकरण (पदक) किसी व्यक्ति द्वारा दी गई सेवाओं के मान्यतास्वरूप मूर्त-प्रतीक हैं। ऐसे पुरस्कार, जरूरत पड़ने पर सदृश कार्रवाई के लिए अन्य लोगों को प्रोत्साहन एवं प्रेरणा देते हैं। संबंधित प्राधिकारियों से अनुरोध है कि वे इस मंत्रालय के विचारार्थ उपयुक्त एवं पात्र नामांकन भेजें। यह भी नोट किया जाए कि इन पुरस्कार की संस्तुतियों पर, पुरस्कार समिति द्वारा पराक्रमी कृत्य के निष्पादन तारीख से दो वर्षों की अवधि के अन्दर विचार किया जाता है। इसलिए, वर्ष 2025 के लिए कोई भी सिफारिश, जिसमें संबंधित कृत्य के निष्पादन की तारीख 01 अक्टूबर, 2023 से पहले की हो, इस मंत्रालय के विचारार्थ अग्रेषित नहीं की जानी चाहिए।

5. जीवन रक्षा पदक श्रेणी के पुरस्कारों की संस्तुतियों को केवल ऑनलाइन माध्यम से ही गृह मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट किए गए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल (URL: <https://www.nawards.gov.in>) पर ही भेजा जा सकता है। इन संस्तुतियों में, वर्णनात्मक प्रारूप में एक प्रशस्ति-पत्र (अधिकतम 250 शब्द) के सहित उपर्युक्त पोर्टल पर उपलब्ध फॉर्मेट में विनिर्दिष्ट समस्त प्रासंगिक विवरणों को, बचावकर्ता द्वारा प्रदर्शित साहस और तत्परता और जीवन के लिए खतरा और विशिष्ट भूमिका, घटना के क्रमवार ब्योरे के साथ-साथ व्यक्ति (जान बचाने वाले व्यक्ति) की विशिष्ट भूमिका/योगदान का स्पष्ट उल्लेख करते हुए समाहित किया जाना चाहिए।

6. सिफारिशकर्ता प्राधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एवं मोहर लगा हुआ एक चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रमाणपत्र स्कैन किया जाए तथा इसे पोर्टल पर अपलोड किया जाए। इस प्रमाणपत्र का प्रोफोर्मा वेबसाइट पर उपलब्ध है। उसकी एक प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है। किसी व्यक्ति की ऑनलाइन सिफारिश करते समय

यह सुनिश्चित कर लें, कि सिफारिश करने वाले व्यक्ति का हिन्दी में नाम सहित समस्त आवश्यक ब्योरा सही ढंग से भरा गया है। संस्तुत किए गए व्यक्ति का नाम गूगल हिन्दी ट्रांसलेटर का उपयोग करके हिन्दी में किया जा सकता है।

7. इस बात को नोट किया जाए कि जीवन रक्षा पदक श्रेणी के पुरस्कार 2025 की सिफारिश हरहाल में 30 सितम्बर, 2025 तक भेज दी जाएं। ऑनलाइन संस्तुतियों के लिए प्रत्येक सिफारिशकर्ता प्राधिकारी पिछले साल के यूजर आईडी और पासवर्ड प्रयोग करें। अगर किसी कारणवश यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं मिल रहा है तो आपसे अनुरोध है कि ईमेल के जरिए अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए अपने सरकारी ईमेल आईडी से [sopub@nic.in](mailto:sopub@nic.in) पर एक ईमेल भेजें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(देबोब्रतो बासु)  
भारत सरकार के अवर सचिव  
दूरभाष: 23092421

जीवन रक्षा पदक श्रंखला के पुरस्कार की सिफारिश के लिए प्रमाण पत्र

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि \* \_\_\_\_\_ के चरित्र और पूर्ववृत्त को सत्यापित कर लिया गया है और यह पुष्टि की जाती है कि रिकॉर्ड में उसके खिलाफ कुछ भी प्रतिकूल नहीं है।
2. यह प्रमाणित किया जाता है कि + \_\_\_\_\_ (सेना / पुलिस / अग्निशमन सेवा आदि) का एक सदस्य है और जीवन रक्षक कार्य, जिसके लिए यह सिफारिश अयोग्यित की जा रही है, उसकी इयूटी के दौरान किया/नहीं किया गया था।

(हस्ताक्षर)

सिफारिश प्राधिकरण का नाम और पदनाम

तारीख

\* अनुशंसित व्यक्ति का नाम

\*\* केवल वर्तमान सेवाओं (जैसे सेना / पुलिस / अग्निशमन सेवा आदि) के सदस्यों के लिए लागू



जीवन रक्षा पदक अखिला के पुरस्कारों की संस्तुति के लिए प्रोफार्मा

1.	पूरा नाम अंग्रेजी में (ब्लॉक अक्षरों में)	:	
2.	पूरा नाम हिंदी में (अनिवार्य)	:	
3.	पिता / पति / अभिभावक का नाम	:	
4.	जन्म तिथि / आयु	:	
5.	लिंग	:	
6.	डाक का पूरा पता (फोन नंबर आदि के साथ)	:	
7.	क्या सिफारिश मरणोपरांत पुरस्कार के लिए है?	:	हाँ / नहीं
8.	निकटतम परिजन का नाम एवं मृत व्यक्ति के साथ संबंध (मरणोपरांत पुरस्कार के मामले में)	:	
9.	घटना की तारीख नोट: 01/10/2023 से से पूर्व की घटनाओं पर विचार नहीं किया जायेगा	:	
10.	जीवन रक्षा कार्य के दौरान बचाये गए व्यक्तियों की संख्या	:	
11.	क्या अनुशंसित व्यक्ति वर्दीधारी सेवाओं (सशस्त्र बलों, पुलिस बलों और मान्यता प्राप्त अग्निशमन सेवाओं आदि) का सदस्य है?	:	
12.	यदि हाँ, तो क्या जीवन रक्षक कार्य ड्यूटी के दौरान किया गया था या अन्यथा?	:	
13.	क्या जीवन रक्षक कार्य एक व्यक्तिगत प्रयास था या एक टीम वर्क?	:	
14.	क्या जीवन रक्षक कार्य के दौरान बचावकर्ता को कोई चोट लगी थी?	:	हाँ / नहीं

		Dr. No. ....	रश्मि
15.	यदि हों, तो बचावकर्ता को लगी चोट का विवरण?		
16.	पुरस्कार की सिफारिश: सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक / उत्तम जीवन रक्षा पदक / जीवन रक्षा पदक		
17.	क्या सम्बंधित व्यक्ति को कोई अन्य पुरस्कार दिया गया है या किसी अन्य पुरस्कार के लिए उसका नाम विचाराधीन है या किसी अन्य पुरस्कार के लिए वह पात्र है? कृपया विवरण दें, यदि कोई हो।		
18.	पहले प्राप्त किये गए जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार का विवरण, यदि कोई हो	:	पुरस्कार : वर्ष :

### प्रशस्ति पत्र #

# यह जीवन रक्षक कार्यों का पूरा विवरण (अनुक्रम वार) लगभग 200 शब्दों के राइटअप के रूप में प्रस्तुत होना चाहिए जिसमें बचावकर्ता द्वारा प्रदर्शित शौर्य एवं तत्परता का तथा उन परिस्थितियों में उसके जीवन पर आये खतरे का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए. जीवन रक्षक कार्य के दौरान अगर बचावकर्ता को कोई चोट आदि आई हो तो उसका भी उल्लेख किया जाए। (अलग शीट संलग्न की जाए)।

\* अनुशंसित पुरस्कार की श्रेणी को अनिवार्य रूप से उल्लिखित किया जाना चाहिए

नोट: सभी comments को सभी मामलों में पूरा किया जाना आवश्यक है अन्यथा आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है।

अनुलग्नक